पत्र संख्या–6 / ब0गै0यो0–01–35 / 2015गृ0आ0.................... /

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना

पटना, दिनांक जुलाई, 2016

विषय :– **सिपाहियों के बुनियादी प्रशिक्षण हेतु पाठ्य सामग्री का मुद्रण हेतु अधियाचित राशि कुल ₹ 15,17,680 (पन्द्रह लाख सत्रह हजार छह सौ अस्सी रू0) मात्र के अग्रिम निकासी की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्रांक–655 / आपूर्ति, दिनांक 17.06.2016 के आलोक में सिपाहियों के बुनियादी प्रशिक्षण हेतु पाठ्य सामग्री का मुद्रण बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना से कराने हेतु प्राप्त Proforma Invoice के अनुसार अधियाचित राशि कुल ₹ 15,17,680 (पन्द्रह लाख सत्रह हजार छह सौ अस्सी रू0) मात्र की अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि की अग्रिम निकासी की स्वीकृति इस शर्त्त पर दी जाती है कि इस राशि को किसी भी हालत में बैंक खाते में जमा नहीं किया जायेगा तथा इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जायेगा।

3. राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना के मांग सं0–22 तथा मुख्य शीर्ष 2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0003–केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय, विषय शीर्ष 16 01–प्रकाशन एवं मुद्रण तथा विपत्र कोड N2055000010003 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. बिहार कोषागार संहिता, 2011 का विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. डी0सी0 विपत्र / उपयोगिता प्रमाण–पत्र 3 माह के अंदर समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. उपर्युक्त में माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6 / ब0गै0यो0–01–35 / 2015गृ0आ0 5617 पटना, दिनांक 25 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

22.7.16